राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017

दूरभाष: 0141–2700872

क्रमांक : रामाशिअ / जय / शालादर्पण / 2016 / 463 दिनांक: 20/06/2016

" शाला दर्पण @राजस्थान"

LOGO (*प्रतीक चिन्ह) निर्माण प्रतियोगिता*

सूचना–तकनीकी एवं डिजिटलाइजेशन के समय में रा0मा0शि0प0 के तत्वावधान में शाला दर्पण एक द्विभाषिक ऑनलाईन एमआईएस पोर्टल बनाया गया हैं। जिसके माध्यम से राजस्थान के सभी राजकीय मा0 / उ0मा0 विद्यालय, उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी एवं इन विद्यालयों के कार्मिक मय शिक्षकों से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन, विद्यालय स्तरीय शैक्षणिक गतिविधियों की प्रविष्टी एवं इनका नियमित रूप से अद्यतन संभव हो पा रहा है।

शाला दर्पण के डेटा के आधार पर शिक्षा विभाग में कांउसलिंग के माध्यम से पदस्थापन, पदौन्नतियां, विभागीय योजनाओं की क्रियान्विति, विद्यालयों की त्वरित मॉनिटरिंग, संसाधनो की उपलब्धता आदि के साथ ही उपलब्ध मानव संसाधनो का समुचित उपयोग संभव हो पाया है। विद्यालय / शिक्षक / विद्यार्थी आधारित विभिन्न योजनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक इनपुट की एक क्लिक पर उपलब्धता संभव हो पाई है।

" शाला दर्पण @राजस्थान " हेतु LOGO (प्रतीक चिन्ह) का निर्माण किया जाना हैं यह LOGO (प्रतीक चिन्ह) आमजन एवं स्वयं सेवी संस्थाओ से आमंत्रित किये जाते है। चयनित LOGO (प्रतीक चिन्ह) को राज्य स्तरीय समारोह में पुरस्कृत किया जायेगा।

LOGO (प्रतीक चिन्ह) की निम्नांकित विशेषताएं होनी चाहिए –

1- LOGO शिक्षा विभाग, राजस्थान में शाला दर्पण पोर्टल विकसित होने से आये आमूलचूक बदलाव की पृष्ठ भूमि पर आधारित एवं इसमें राजस्थान के शिक्षा विभाग, संस्कृति, भूगोल एवं परिवेश का समावेश होना चाहिए।

2- LOGO कम्प्यूटर निर्मित व हस्तनिर्मित कोई सा भी हो सकता है।

3- LOGO यदि कम्प्यूटर से निर्मित हो तो उसे jpeg/.png/.bmp प्रकार (Photoshop/Coreldraw/Adobe application) की फाईल में एवं कम्प्यूटर निर्मित न हो तो उसकी स्केन्ड कॉपी (Scaned Copy) jpeg/.png/.bmp प्रकार में होना चाहिए।

4- LOGO सिर्फ रंगीन एवं साईज 5'' X 5'' का होना चाहिए।

5- LOGO की सॉफ्ट कॉपी ई–मेल आई.डी. logo.rcse@gmail.com पर ही भिजवाये ।

6- LOGO मौलिक एवं स्वनिर्मित होना चाहिए। पूर्व में किसी व्यक्ति, संस्था, राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनी आदि किसी के भी द्वारा इसका उपयोग नही किया गया हो।

LOGO (प्रतीक चिन्ह) की शर्ते –

1- LOGO के चयनित होने पर शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की धरोहर होगा और इस पर राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व होगा। इस पर निर्मित करने वाले व्यक्ति या संस्था का कोई अधिकार नही होगा।

2- LOGO प्रतियोगिता की जानकारी शिक्षा विभाग के शाला दर्पण, शाला दर्शन, शिक्षा विभाग की वेबसाईट http://rajrmsa.nic.in और http://education.rajasthan.gov.in एवं शिक्षा विभाग से जुडे विभिन्न सोशल मिडिया के माध्यम से दी जा रही है, किसी भी व्यक्ति एवं संस्था को निर्धारित शर्तो / विशेषताओं के आधार LOGO (प्रतीक चिन्ह) तैयार कर पूर्ण विवरण सहित सॉफ्ट कॉपी दिनांक **30.06.2017** तक उक्त मेल पर भिजवाना होगा।

3- LOGO के चयन से सम्बन्धित समस्त अधिकार, शिक्षा विभाग राजस्थान के पास सुरक्षित रहेगें।

(जस्साराम चौधरी) 15/6/17

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

रा0मा0शि0प0 जयपुर